

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/41249 /

जबलपुर, दिनांक 24/09/2025

IV-12-14/80 Pt VII-U

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-1 / 2025 / नियम / चार भोपाल दिनांक 03 अप्रैल, 2025 के अनुसार श्रीमती अनुप्रिया शर्मा चौबे, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को दिनांक 01.07.2025 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक A/4250 /

जबलपुर, दिनांक 24/09/2025

IV-12-14/80 VII Pt VII-U

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
2. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
3. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
5. श्रीमती अनुप्रिया शर्मा चौबे, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)